LALITPUR POLICE

दिनांक- 06.01.2025

प्रेस नोट

थाना जखौरा पुलिस, स्वाट व सर्विलांस की संयुक्त टीम द्वारा सनसनीखेज दोहरे हत्याकाण्ड का किया गया सफल अनावरण

हत्या के अभियोंग में वांछित 03 नफर अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार हत्या का आलाकत्ल 01 अदद रस्सी व घटना में प्रयुक्त एक अदद मोटरसाइकिल को किया गया बरामद ।

श्रीमान् अपर पुलिस महानिदेशक, कानपुर जोन, कानपुर एवं श्रीमान् पुलिस उप महानिरीक्षक, झांसी परिक्षेत्र, झांसी के निर्देश के क्रम में, श्रीमान् पुलिस अधीक्षक, ललितपुर श्री मो0 मुश्ताक के निर्देशन में, अपर पुलिस अधीक्षक, जनपद ललितपुर श्री अनिल कुमार एवं क्षेत्राधिकारी सदर, श्री अभय नारायण राय के निकट पर्यवेक्षण में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना जखौरा पुलिस, स्वाट व सर्विलांस की संयुक्त टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 02/2025 धारा 103(1)/238 BNS बनाम प्रकाश में आये अभियुक्तगण **1- सुनील साहू पुत्र भगवानदास साहू उम्र करीब 36 वर्ष 2. देशराज साहू पुत्र भगवानदास साहू उम्र करीब 32 वर्ष 3. श्रीमती रामदेवी साहू पत्नी स्व0 भागचन्द्र साहू उम्र करीब 40 वर्ष** को नियमानुसार गिरफ्तार कर , न्यायिक अभिरक्षा हेतु माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है।

घटना का संक्षिप्त विवरण- वादी मुकदमा श्री मनीष कुमार पुत्र श्यामलाल कुशवाहा द्वारा प्रार्थना पत्र देकर अवगत कराया गया कि वादी के भाई मिथुन कुमार पुत्र श्यामलाल कुशवाहा का शव पेड़ से टगा हुआ है तथा शक होना की मृतिका कामिनी पुत्री सुनील साहू नि0 ग्राम राजपुरवीघा थाना जखौरा जनपद ललितपुर से वादी के भाई का प्रेम-प्रसंग चलने के कारण कामिनी के परिवारीजन द्वारा वादी के भाई की हत्या कर देने के सम्बन्ध में सूचना दी गयी थी ।

सूचना पर उच्चाधिकारीगण व थाना जखौरा पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर शव को कब्जा पुलिस लेकर पंचायतनामा की कार्यवाही पूर्ण कर, पोस्टमार्टम की कार्यवाही करायी गयी थी। मौके पर फोरेन्सिंक टीम, जनपद ललितपुर द्वारा महत्वपूर्ण साक्ष्य संकलित किये गये थे। चिकित्सको द्वारा तैयार की गई पीएम रिपोर्ट में हत्या (स्ट्रेंगुलेसन) किये जाने का उल्लेख किया गया था , जिसके आधार पर थाना जखौरा पर सुसंगत धाराओ में अभियोग पंजीकृत किया गया था।

घटना की गम्भीरता व संवेदनशीलता को देखते हुए घटना के शीघ्र अनावरण व अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु अपर पुलिस अधीक्षक, ललितपुर के नेतृत्व में 04 पुलिस टीमें गठित की गयी थी। घटना स्थल के आस-पास रहने वाले लोगो से वार्ता की गयी तथा आस-पास के संदिग्ध व्यक्तियों से पूछतांछ की गयी।

धरातलीय सूचना, सर्विलांस व अन्य एकत्रित साक्ष्यों की मदद से मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित विवेचनात्मक कार्यवाही व वैज्ञानिक साक्ष्य संकलन की प्रक्रिया के अनुक्रम में उक्त प्रकरण से सम्बन्धित अभियुक्तगण सुनील साहू, देशराज साहू व श्रीमती रामदेवी उपरोक्त प्रकाश में आये जिनको नियमानुसार गिरफ्तार किया गया है।

प्रकाश में आये हुए अभियुक्तों से घटना में प्रयुक्त की गयी सामग्री की बरामदगी हेतु अभियुक्तगण की निशादेही पर एक अदद रस्सी (आलाकत्ल) व घटना में प्रयुक्त एक अदद मोटरसाइकिल को बरामद किया गया है ।

पूछतांछ का विवरण- अभियुक्तगण ने पूछताछ करने पर बताया गया कि साहब मेरी पुत्री कामिनी एवं गाँव के ही मिथुन कुशवाहा के मध्य प्रेम- प्रसंग चल रहा था, जिसमें हमारे द्वारा मृतक मिथुन कुशवाहा के खिलाफ कामिनी से छेड़खानी करने का एक मुकदमा पंजीकृत कराया था। मुकदमा पंजीकृत होने के बाद गांव में पंचायत भी हुई थी कि मिथुन उपरोक्त मेरी पुत्री कामिनी की शादी तक गांव में नहीं रहेगा। मिथुन उपरोक्त गाँव छोड़कर किसी अन्य जगह पर रहने लगा था इसी दौरान हमने अपनी पुत्री की सादी दूसरी जगह तय कर दी थी लेकिन उसके वाद भी वह मेरी पुत्री कामिनी से मिलने के लिए रात्रि में देर सवेर गाँव आकर मिला करता था। जिसकी जानकारी गांव के लोगो के साथ हम लोगों को भी हो गयी थी। जिससे समाज में हम लोगो की काफी बदनामी हो रही थी। बदनामी होने के कारण हम लोग काफी परेशान व आक्रोशित थे। दिनांक 31.12.2024/01.01.2025 की रात को कामिनी का जन्मदिन था वह करीब 00.30 -1.00 बजे के आसपास मिथुन कामिनी से मिलने हमारे घर पर आया था जिसको हम लोगो ने पकड़ लिया था। हम सभी ने मिलकर मिथुन के ही मफलर से उसके हाथ पीछे करके बांध दिये थे और मिथुन के गले में रस्सी डालकर, कसकर मार दिया था। कामिनी को काफी समझाने पर वह नही मानी तथा यह कहने लगी कि तुम लोगो ने मिथुन को मारकर बहुत गलत किया गया में इसकी जानकारी पुलिस व उसके घरवालों को दे दूंगी। कामिनी की इस बात से हम लोग काफी आक्रोशित हो गये थे और किसी मुकदमें में फसने के डर से उसी रस्सी से कामिनी को भी गले में कसकर मार दिया और घर से सटे खेत पर डाल दिया था। इसके पश्चात हम लोगो ने घटना को आत्महत्या दिखाने के उद्देश्य से अपने घर में रखी कीटनाशक दवाई को दोनों के मुह में डाल दिया था और दोनों के सर के ऊपर भी छिड़क दी थी ऐसा हमने इस लिये किया था कि गाव में हुयी पंचायत के बाद हम दोनो पक्षों में हुये राजीनामा में यह शर्त तय हुयी थी कि यदि भविष्य में मिथुन आत्महत्या करता है तो हम लोगो की जवाबदारी नही होगी और न ही हमारा कोई दोष होगा। हम लोगो ने मिथुन के शव को नीम के पेड़ की डाल पर रस्सी से बांध कर टांग दिया था जिससे ऐसा प्रतीत हो कि मिथुन ने स्वंय ही फाँसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। साहब हमसे गलती हो गयी माफ कर दो।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1- सुनील साहू पुत्र भगवानदास साहू उम्र करीब 36 वर्ष नि0 ग्राम राजपुर मजरावीघा थाना जखौरा जनपद ललितपुर
2. देशराज साहू पुत्र भगवानदास साहू उम्र करीब 32 वर्ष नि0 ग्राम राजपुर मजरावीघा थाना जखौरा जनपद ललितपुर
3. श्रीमती रामदेवी साहू पत्नी स्व0 भागचन्द्र साहू उम्र करीब 40 वर्ष नि0 ग्राम राजपुर मजरावीघा थाना जखौरा

गिरफ्तारी का दिनांक - 06.01.2025

बरामदगी का विवरण- आलाकत्ल 01 अदद रस्सी व घटना में प्रयुक्त एक अदद मोटरसाइकिल को बरामद किया गया।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1.श्री राहुल राठौर थानाध्यक्ष जखौरा मय टीम
2. श्री आलोक सिंह प्रभारी सर्विलांस मय टीम।
3.श्री अतुल तिवारी प्रभारी स्वाट मय टीम।